



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1927 (श०)

(सं० पटना 614)

पटना, शुक्रवार 18 नवम्बर 2005

(सं० वि० (27) पे० को०-53104-2469)

वित्त विभाग

संकल्प

16 नवम्बर, 2005

विषय—दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों पर प्रभावी नई अंशदावी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त, 2005 द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिये "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदावी पेंशन योजना 2005" लागू की गयी है। उक्त संकल्प की क्रमिका में यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किया जायगा। उक्त क्रम में इस योजना को लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है—

1. दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिये इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। इन कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन तथा अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी। राज्य सरकार इतनी ही राशि अंशदान के रूप में उपलब्ध करवायेगी।

2. यह अंशदान बैंड सावधिपेंशन निधि में जमा होगा।

3. सरकारी सेवक के 60 वर्ष की वार्षिक सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि से 40 प्रतिशत राशि आई० बी० आर० ए० नियमित जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिकी (Annuity) खरीकने के लिये कटौती कर की जायगी। जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उन पर भाजित उनके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन व्यवस्था की जायगी तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुमताव कर दी जायगी।

4. जो सरकारी सेवक वार्षिक सेवानिवृत्ति के पूर्व किसी कारण सरकारी सेवा से अलग हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें संचित निधि की पूरी राशि वापस कर दी जायगी तथा ऐसे कर्मियों को पेंशन या वार्षिकी की सुविधा देय नहीं होगी।

5. इस निधि के रख-रखाव हेतु एक केंद्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी०आर०ए०) आधार ढांचा तथा पेंशन निधि प्रबंधक होंगे जो स्कीम की तीन श्रेणियों यथा-(क) (ख) तथा (ग) को पेश करेंगे। विकल्प 'क' के अंतर्गत निवेश मुख्यतः नियत ब्याज वाले इन्स्ट्रुमेंट (Instruments) तथा कुछ निवेश हिस्सा पूंजी में होगा। विकल्प 'ख' में निवेश मुख्यतः हिस्सा पूंजी में होगा, तथा विकल्प 'ग' में हिस्सा पूंजी तथा नियत ब्याज वाले इन्स्ट्रुमेंट (Instruments) में लगभग बराबर-बराबर निवेश होगा। प्रत्येक कर्मचारी इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपना सकेगा।

6. भागीदार कम्पनियों (पी० एफ० एम०) तथा सी०आर०ए० उपर्युक्त तीनों विकल्पों के संबंध में आसानी से समझ में आनेवाली जानकारीयें देगी ताकि कोई भी कर्मी समुचित विकल्प का प्रयोग करते हुए यह निश्चित कर सके कि उसे कौन-सी स्कीम का चयन करना है।

7. जबतक इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी0आर0ए0) तथा पेंशन निधि प्रबन्धक (पी0एफ0एम0) की नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती है तबतक संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन इस योजना से संबंधित सभी अभिलेखों तथा लेखा का संधारण करेगा।

8. सरकारी सेवक के प्रभार ग्रहण करने के तत्काल बाद सरकारी सेवक को उगका नाम, पदनाम, वेतनमान, जन्म-तिथि नामित व्यक्ति का नाम तथा उससे सम्बन्ध आदि के बारे में सूचना परिशिष्ट-1 में तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी। इस योजना से आच्छादित होनेवाले सभी सरकारी सेवकों से इन सूचनाओं को प्राप्त कर इसे सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय / निदेशालय में भेजने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रधान की होगी। प्रत्येक माह राज्य सरकार की सेवा में योगदान देनेवाले सभी कर्मियों की समेकित सूचना सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा परिशिष्ट-2 में निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी जिसके साथ परिशिष्ट-1 की मूल प्रति भी संलग्न होगी। परिशिष्ट-1 की मूल प्रति को भविष्य निधि कार्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। यह सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भविष्य निधि निदेशालय/ संबंधित कार्यालय को देनी अनिवार्य होगी।

9. उपर्युक्त परिशिष्ट-2 प्राप्त होने के उपरान्त भविष्य निधि निदेशालय/ कार्यालय सम्बन्धित कर्मियों को 12 अंकों की एक स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करेगा। 12 अंकों में से प्रथम 4 अंक उस पंचांग वर्ष को दर्शाएंगे जिसमें सरकारी सेवक के द्वारा योगदान किया गया है। उसके बाद अगला एक अंक सरकारी कर्मियों को इंगित करेगा तथा इस कॉलम में "1" अंक अंकित किया जाएगा। उक्त के बाद का 2 अंक सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय का वह कोड होगा जिसे संलग्न परिशिष्ट-3 में अंकित किया गया है और अन्तिम 5 अंक सम्बन्धित पंचांग वर्ष में नियुक्त सरकारी कर्मियों की क्रमिक संख्या होगी जिसे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा आवंटित किया जाएगा।

10. स्थायी पेंशन लेखा संख्या का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :-

पंचांग वर्ष	असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड	कर्मियों की क्रमिक संख्या

स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करने के संबंध में परिशिष्ट-4 में उदाहरण दिया गया है जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी।

11. नव नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन एवं अनुमान्य जीवनयापन भत्ता के योग के 10 प्रतिशत राशि की कटौती होगी। कटौती उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वर्तमान में भविष्य निधि के लिये की जाती है। इसके लिए वेतन विपत्र के साथ अनुसूची दो प्रतियों में संलग्न करनी होगी जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को भेजा जाएगा।

12. राज्य सरकार अपने अंशदान के रूप में वेतन एवं जीवन यापन भत्ता के योग पर ही 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायेगी। यह राशि मुख्य शीर्ष 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्त हित लाभ, उप मुख्य शीर्ष 01-सिविल, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय तप शीर्ष - 0001- अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान से भुगतये होगी।

13. इस योजना से आच्छादित होने वाले कर्मियों के लिये दो मासिक वेतन विपत्र साथ-साथ प्रस्तुत किये जायेंगे जिसमें एक विपत्र वर्तमान के मासिक वेतन विपत्र के अनुरूप होगा तथा इसमें उस शीर्ष का उल्लेख होगा जिससे सरकारी सेवक का वेतन निकलता है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। दूसरा मासिक वेतन राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अंशदान का होगा जिसकी निकासी उपर्युक्त कंडिक्न-12 में उल्लिखित शीर्ष से होगी तथा इसके लिये आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी।

14. मासिक वेतन विपत्र तथा अंशदायी योगदान के लिए दोनों विपत्रों के साथ दो-दो प्रतियों में सम्बन्धित अनुसूची संलग्न की जायेगी। यह उसी प्रकार संलग्न की जायेगी जिस प्रकार भविष्य निधि के लिए अनुसूचियां संलग्न की जाती हैं। इसमें नियमित मासिक वेतन विपत्र के साथ जो अनुसूची संलग्न होगी उसका प्रारूप परिशिष्ट-5(क) पर तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अंशदान से सम्बन्धित अनुसूची विपत्र के साथ परिशिष्ट-5“ख” पर देखी जा सकती है।

15. दोनों मासिक वेतन विपत्रों को कोषागार द्वारा एक साथ पारित किया जाएगा तथा विपत्र की निकासी/समायोजन के उपरान्त उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को भविष्य निधि निदेशालय/संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को ठीक उसी प्रकार भेजा जाएगा जिस प्रकार वर्तमान में भविष्य निधि से कटौती से संबंधित अनुसूचियां भेजी जाती हैं।

16. भविष्य निधि कार्यालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे सम्बन्धित कर्मियों का लेखा संधारण करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके वेतन तथा अनुमान्य महंगाई भत्ता के योग के 10 प्रतिशत से अधिक या कम राशि की कटौती नहीं की गयी हो तथा राज्य सरकार का अंशदान भी इसी के अनुरूप हो। यदि किसी मामले में इससे भिन्न तथ्य प्रकाश में आता है तो उसे तुरंत सम्बन्धित कोषागार के ध्यान में लाया जाएगा जो इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

17. बकाया वेतन एवं जीवनयापन भत्ता की निकासी में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात् इसमें भी 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी तथा उतनी ही राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में दी जाएगी।

18. यदि 10 प्रतिशत की राशि की गणना करने पर उक्त राशि 50 पैसे या उससे अधिक हो तो उसे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि वह 50 पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

19. उपर्युक्त कंडिक्न-7 में वर्णित नियमित व्यवस्था जबतक नहीं हो जाती है तब तक इस मद में जमा राशि पर भी उक्त अवधि में भविष्य निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर देय होगा।

20. भविष्य निधि निदेशालय /सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से कटौती की गयी राशि तथा राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गयी राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष के अन्त में सम्बन्धित कार्यालय प्रधान को उपलब्ध कराया जाएगा जो अपने अभिलेखों से भी इसका मिलान कर लेंगे तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मियों को उपलब्ध करा देंगे। यदि भविष्य निधि कार्यालय तथा कार्यालय प्रधान के आंकड़ों में किसी प्रकार का अन्तर हो तो इसका मिलान तुरंत किया जाएगा।

21. नवनियुक्त स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को भी दो अलग-अलग वेतन विपत्र इस संकल्प के प्रावधानों के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

22. राज्य कर्मियों के अंशदान की कटौती को "मुख्य शीर्ष 8011- बीमा तथा पेंशन निधि, लघु शीर्ष 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां, उपशीर्ष -0002- बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना -2005 में राज्य कर्मियों का अंशदान" में जमा किया जाएगा एवं राज्य सरकार के अंशदान को "मुख्य शीर्ष 8011- बीमा तथा पेंशन निधि, लघु शीर्ष 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि, उपशीर्ष -0002- बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना -2005 में राज्य सरकार के अंशदान" में जमा किया जाएगा ।

23. इस योजनान्तर्गत आच्छादित कर्मियों के लिए भविष्य निधि की योजना लागू नहीं होगी अर्थात् उनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी ।

24. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, में इस नई अंशदायी पेंशन योजना को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है । इनके सम्बन्ध में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

पी० एन० नारायणन
वित्त आयुक्त ।

परिष्कार-1

(सरकारी कर्मी द्वारा भरा जाएगा)

1. सरकारी सेवक का नाम-
2. पिता/पति का नाम-
3. पदनाम-
4. विभाग/कार्यालय का नाम-
5. जन्म तिथि-
6. सरकारी सेवा में नियुक्ति का तिथि-
7. वेतनमान-
8. मूल वेतन-
9. पेशना निधि के अन्तर्गत समीक्षण-

क्रम संख्या	मनोनीत व्यक्ति का नाम	सब	धुमकान के प्रतिशत का अंश	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध

दिनांक

हस्ताक्षर के दो गवाह

1.

2.

दिनांक-

स्थान-

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-2

कार्यालय का नाम एवं पता :-		माह एवं वर्ष -										
		पेंशन लेखा के अन्तर्गत संविदा निधि हेतु आश्रित के मनोनयन का विवरण :-										
क्रम संख्या	सरकारी सेवक का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	भविष्य निधि कार्यालय द्वारा 12 अंक का आवंटित स्थायी पेंशन लेखा संख्या	मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम एवं पते	मनोनीत व्यक्ति की उम्र	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	मुगतान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

दिनांक

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट - 3

राज्य बीमा एवं भविष्य निधि के इकाई कार्यालय/जिला कार्यालय की सूची
भविष्य निधि कार्यालय का स्थान

क्रमांक	भविष्य निधि कार्यालय का स्थान	कोड नं०
1.	भविष्य निधि निदेशालय, पटना	01
2.	पटना	02
3.	भोजपुर, आरा	03
4.	बक्सर	04
5.	रोहतास (सासाराम)	05
6.	कैमूर (भभुआ)	06
7.	बिहार-शरीफ	07
8.	गया	08
9.	औरंगाबाद	09
10.	नवादा	10
11.	जहानाबाद	11
12.	अरवल	12
13.	मुंगेर	13
14.	लखीसराय	14
15.	शेखपुरा	15
16.	जमुई	16
17.	खगड़िया	17
18.	बेगुसराय	18
19.	जमालपुर	19
20.	बौंका	20
21.	सारण (छपरा)	21
22.	सिलाव	22
23.	गोपालगंज	23
24.	मुजफ्फरपुर	24

राज्य बीमा एवं मविष्य निधि के ईकाई कार्यालय/जिला कार्यालय की सूची :-

क्रम संख्या	मविष्य निधि कार्यालय का स्थान	कोड नं०
25	सीतामढ़ी	25
26	शिवहर	26
27	वैशाली (हाजीपुर)	27
28	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	28
29	पं० चम्पारण (बेतिया)	29
30	मधुबनी	30
31	दरभंगा	31
32	समस्तीपुर	32
33	सहरसा	33
34	सुपौल	34
35	मधेपुरा	35
36	पूर्णिया	36
37	अररिया	37
38	किशनगंज	38
39	कटिहार	39

परिशिष्ट - 4

स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करने हेतु उदाहरण - 1

1. राज्य स्तरीय सेवा में माह सितम्बर 2005 में नियुक्त कर्मियों का स्थायी पेंशन लेखा संख्या जो भविष्य निधि निदेशालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा :-

पंचायत वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या				
2	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	1

उदाहरण - 2

क्षेत्रीय कार्यालय यथा कटिहार जिला के अन्तर्गत कोई पंचायत सेवक या राजस्व कर्मचारी के पद पर माह सितम्बर 2005 में योगदान करता है तो उसका स्थायी पेंशन लेखा सं0 कटिहार जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा :-

पंचायत वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या				
2	0	0	5	1	3	9	0	0	0	0	1

नोट- अन्तिम 5 अंक उस वर्ष में नियुक्त कर्मियों की संख्या है । भविष्य निधि कार्यालयों को जैसे -जैसे आवेदन प्राप्त होंगे, उनके द्वारा जैसे -जैसे इन्हें भरा जायेगा । उदाहरण के तौर पर यदि कटिहार जिले में विभिन्न कार्यालयों में 100 कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2005 में होती है तो सभी के लिये प्रथम 7 अंक समान रहेंगे तथा अन्तिम 5 अंक 00001 से 00100 तक अंकित किये जायेंगे ।

परिशिष्ट- 5 (क)

नई अंशदान पेंशन योजना 2005 के तहत राज्यकर्मियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की अनुसूची :-

मुख्य शीर्ष-

उपमुख्य शीर्ष-

उपशीर्ष-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पदनाम	स्थायी पेंशन लेखा संख्या	मूल वेतन	महंगाई वेतन	महंगाई भत्ता	योग (कालम 4+5+6)	अंशदान (कालम 7 का 10 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल योग :-							

कार्यालय प्रधान/निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर, एवं मुहर

परिशिष्ट - 5 (ख)

नई अंशदान पेंशन योजना 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की अनुसूची :-

मुख्य शीर्ष-
उपमुख्य शीर्ष-
उपशीर्ष-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पदनाम	स्थायी पेंशन लेखा संख्या	मूल वेतन	महंगाई वेतन	महंगाई भत्ता	योग (कालम 4+5+6)	राज्यांश (कालम 7 का 10 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल योग :-							

बिहार राज्य सरकार
मुख्य शीर्ष, उपमुख्य शीर्ष, उपशीर्ष
बिहार गजट (प्रसाधारण) 614-नवम्बर-2005-पृष्ठ-1000-क. के तहत।